न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—02 / 2021 (2021 / 24) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—श्री चारभुजा स्थान देह मंदिर मुर्ति नाबा जरिये पुजारी रामेश्वरलाल पिता बालुदास बैरागी निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हसैन —

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—31.03.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी चारभुजा स्थान देह मंदिर मूर्ति अवयस्क है तथा उसी देखभाल पुजारी द्वारा की जाती है प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम थोरियाखेड़ा पटवार हल्का भींटा के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 25 में अकिंत आराजी संख्या 425 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 426 रकबा 0.14 है0 आराजी संख्या 427 रकबा 0.30 है0 भूमियां अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र विद्यमान वर्षों पुराना रास्ता गांव की आबादी भूमी संख्या 429 में स्थित रास्ता जिसे नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दिखाया गया से होकर विपक्षी संख्या एक की बिलानाम आ.सं. 437 में पीली स्याही से दर्शाए गए स्थान से होकर जाता है. जिससे प्रार्थी अपने खेत में इसी रास्ते से आवागमन कर अपने खेतो में फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहा है तथा इसी रास्ते से अपने संज बैल, गाड़ी ट्रैक्टर आदि लेकर जाता है तथा खाद आदि डालता आ रहा है। प्रार्थी की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं हैं। प्रार्थी की कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यंत आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थी के विद्यमान कदीमी रास्ते को राजस्व नक्शे में सुविधा की दृष्टि से पीली स्याही से दर्शाया गया है। उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का रास्ता मौके पर खला हुआ है परंतु आ.सं. 437 में बगतावर, रेमता, देवा हीरा, लेहरू पिता रामा गुर्जर ने अवैध कब्जा कर रास्ते की भूमी में लोहे की फाटक लगाकर रास्ता को बंद कर दिया है जिससे तथा प्रार्थी को उसकी आराजी में आवागमन करने से रोक दिया है तथा उनको ओलंबा देने पर प्रार्थी के साथ गाली गलौच व लड़ाई झगड़ा करते हैं । जिससे प्रार्थी अपने खेतो में आवागमन नही कर पाता है तथा अपने खेतो में फसल काश्त कर काश्त लाभ नही ले पाता है। उक्त रास्ते को स्थाई रूप से राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज करवाना न्यायोचित हो गया है। उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 437 में 20 फीट चौड़ा रास्ता ही है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। उक्त रास्ता प्रार्थी के लिये अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फर[illegible] थोरियाखेड़ा पटवार हल्का भींटा के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 25 में अकिंत [illegible] 425 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 426 रकबा 0.14 है0 आराजी संख्[illegible] में आवागमन का रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 437 में 20 फीट चौड़ाई [illegible] रास्ता दर्ज क[illegible] आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान किया जाक[illegible] आने वाली भूमि की [illegible] दर से राशि विपक्षी को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 08.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 फौरमल पक्षकार है जिन्होने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि ग्राम थोरियाखेड़ा की सीमा में श्री चारभुजा स्थान देह के नाम पर आराजी संख्या 425 रकबा 0.30, आराजी संख्या 426 रकबा 0.14 है0 आराजी संख्या 427 रकबा 0.30 है0 कृषि भूमियां दर्ज रेकार्ड है पुजारी रामेश्वरलाल पिता बालुदास बैरागी निवासी थोरियाखेड़ा ने आवागमन हेतु बिलानाम आराजी संख्या 437 रकबा 0.54 है0 मे से रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी वर्तमान में ग्राम थोरियाखेड़ा की आबादी भूमि मे से होकर बिलानाम आराजी संख्या 437 में होकर अपनी आराजी में आवागमन कर रहा है। बिलानाम आराजी संख्या 437 से कुछ दुरी पर रास्ता बना हुआ है शेष भूमि में बाड़े बने हुए है। प्रार्थी के मौके पर रास्ते में बाड़े बना रखे है जहां पर लोहे की फाटक बगतावर पिता रामा गुर्जर लगा रखी है जिससे आने जाने का रास्ता बंद है। प्रार्थी की आराजियात पर आवागमन पर प्रस्तावित रास्ते के अलावा ग्राम थोरियाखेड़ा की आबादी आराजी संख्या 429 मे से होकर रास्ता स्थित है जो प्रार्थी की आराजी के समीप होकर गुजर रहा है जिससे भी आया जाया जा सकता है वर्तमान में रास्ता चालु है। प्रार्थी ने बिलानाम आराजी संख्या 437 में से आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है बिलानाम आराजी संख्या 437 रकबा 0.54 है0 मे से 0.04 है0 भूमि की डीएलसी दर 33147 रूपये प्रति बीघा से 6136 रूपये का दुगुनी राशि 12272 रूपये बनती है। वर्तमान वैकल्पिक रास्ते को बल्यु इंक से एवं प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है नक्शा ट्रेस संलग्न है। प्रार्थी के आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता के अलावा आबादी क्षेत्र में वैकल्पिक रास्ता स्थित है आवागमन चालु है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो सरकारी रास्ते से सीधा बिलानाम भूमि में होता हुआ प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जा रहा है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वो बिलानाम सरकारी भूमि होकर पड़त है एवं प्रार्थी नियमानुसार भूमि कीमत देने हेतु सहमत है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी संख्या 425 रकबा 0.30, आराजी संख्या 426 रकबा 0.14 है0 आराजी संख्या 427 रकबा 0.30 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 437 रकबा 0.54 है0 मे से 0.04 है0 भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 33147 रूपये प्रति बीघा से 6136 रूपये का दुगुनी राशि 12272 रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त राशि का प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.3.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—02/2021 (2021/24) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—श्री चारभुजा स्थान देह मंदिर मुर्ति नाबा जरिये पुजारी रामेश्वरलाल पिता बालुदास बैरागी निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी संख्या 425 रकबा 0.30, आराजी संख्या 426 रकबा 0.14 है0 आराजी संख्या 427 रकबा 0.30 है0 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 437 रकबा 0.54 है0 मे से 0.04 है0 भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 33147 रूपये प्रति बीघा से 6136 रूपये का दुगुनी राशि 12272 रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त राशि का प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

31.3.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.06.10 18:18:13 IST
Reason: SelfAttested